कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-mail – dean-gmcshahdol@mp.gov.in,
Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG,

Office No. :- 07652-243000
Fax No.:- 07652 – 243222

क्रमांक/..1528../स्था./एम.सी./2023 शहडोल, दिनांक 24/01/2023

सूचना

अवर सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/ एफ 2-42 /07/1/पचपन भोपाल, दिनांक 17.12.2021 एवं संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/1200-02/स्था./राज/ 2021 भोपाल, दिनांक 24.12.2022 द्वारा सीनियर/ रेसीडेंट की चयन पद्वति हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में सीनियर रेसीडेंट के निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति सीमित समयावधि (Tenure) 3 वर्ष तक किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 04.02.2023 सायं 05 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं :-

पद नाम :- सीनियर रेसीडेंन्ट **(मासिक स्टायपेंड - रू. 80,811/- प्रतिमाह)**

S.No.	Subject	UR	EWS	ST	SC	OBC
1	दंत रोग विभाग	01	00	00	00	00
	योग	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया :- आवेदन पत्र दिनांक 04.02.2023 सायं 05 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा किये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।

मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा पात्र अभ्यार्थियों के साक्षात्कार/लिखित परीक्षा हेतु सूचना पृथक से महाविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड के माध्यम से जारी की जावेगी।

आवेदन शुल्क :- अनारक्षित संवर्ग के अभ्यार्थियों को अपने आवेदन के साथ रू. 700/- (सात सौ रूपये) एवं आरक्षित संवर्ग के अभ्यार्थियों को रूपये – 500/- (पांच सौ रूपये) राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट **''NEW GOVT. MEDICAL COLLEGE SHAHDOL AUTONOMOUS SOCIETY खाता क्रमांक - 3687727001 IFSC Code :- CBIN0280787 बैंक – सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिय, मेन ब्रांच शहडोल (म.प्र.) के नाम देय हो प्रस्तुत करना होगा।** बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यार्थी को अपना पूरा नाम, पता व विषय तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा। किसी भी अवस्था में राशि वापस नहीं की जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्रमांक एफ 4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.10 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातकोत्तर/स्नातक छात्र जिनका चयन क्रमशः सीनियर रेसीडेन्ट /जूनियर रेसीडेंन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बंधपत्र से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि सेवा छोड़ने की स्थिति में ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बंधपत्र की शर्तें लागू हो जाएगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

❖ **सीनियर रेसीडेंट्स :-**

पात्रता:-

I. सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अन्दर एम.डी.एस पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
II. चिकित्सक की उम्र 45 से कम होनी चाहिए।
III. एन.एम.सी. द्वारा समय - समय पर जारी अर्हताए स्वतः लागू होगी।

Scanned with CamScanner

अपात्रता:-

I. एम.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य,चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लघंन कर चिकित्सकीय कार्य ना किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना ।

II. विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्व किसी अवधि के लिए चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

III. पाठ्यक्रम अवधि मे छात्र-छात्राओं के विरूद्व अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।

IV. पाठ्यक्रम अवधि मे पदीय कर्तव्यों मे लापरवाही , अशिष्ठता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।

V. बिन्दु (I) से (IV) मे दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में,ऐसे छात्र/छात्रएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था मे सेवा के लिए पात्र नही माने जाऐंगे।

VI. उपरोक्त बिन्दु के संबंध मे छात्र/छात्रा द्वारा पी.जी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र मे उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित टीप अंकित की जायेगी।

चयन विधि :-

(i) अधिष्ठाता द्वारा नोटिस बोर्ड, कॉलेज वेबसाईट एवं समाचार पत्र के माध्यम से इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की जायेगी तथा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।

(ii) चयन हेतु प्रथमत: मध्यप्रदेश के दंत चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदों के लिए प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

(iii) चिकित्सक द्वारा जिस विषय में एम.डी.एस. किया गया है उसी विषय के लिए पात्रता होगी।

(iv) चयनित सीनियर रेसीडेंट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

(v) यदि अभ्यार्थी किसी अन्य संस्था में कार्यरत है तो साक्षात्कार के समय उस संस्था द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत अनिवार्य होगा।

टेन्युअर (Tenure) :-

(i) टेन्युअर की अवधि 03 वर्ष होगी।

(ii) 01 वर्ष की टेन्युअर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने संबंधी की गई अनुशंसा के आधार पर आगामी पुन: 01 वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा।

(iii) विभाग में पदस्थ सीनियर रेसीडेंट के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष, संबद्व चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से, ऐसे सीनियर रेसीडेट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार प्रदत्त होगा। इस प्रकार से पृथक किये गए चिकित्सक को इस पद हेतु पुन: आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

(iv) विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होंगे।

आरक्षण :-

(i) राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

(ii) आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्व चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

Scanned with CamScan

अवकाश :-

सीनियर रेसीडेंट को प्रति सप्ताह 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, सप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

शिष्यावृत्ति :- मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचलित सीनियर रेसीडेन्ट हेतु शिष्यावृत्ति देय होगी।

अन्य शर्तें:-

1. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
2. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यार्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जायेगा।
3. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. यह नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी। नियुक्ति की अवधि समाप्ति के पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की अग्रिम सूचना देकर या उसकी एवज में 1 माह का अग्रिम वेतन देकर सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
5. पेंशन एवं तत्संबंधित कोई लाभ देय नहीं होगा।
6. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 7 दिवस के अन्दर चरित्र सत्यापन अपने निवास क्षेत्र के कोतवाली/थाना से कराकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पुलिस सत्यापन में प्रतिकूल टिप्पणी पाए जाने पर सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
7. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से इस 1 वर्ष की अवधि में अन्यत्र सेवा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया जाएगा।
8. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व व्यवसायिक परीक्षा मण्डल अथवा पी.एम.टी., यू.जी. एवं पी.जी. किसी भी स्तर पर एस.टी.एफ./सी.बी.आई. आदि की जांच लंबित न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त, की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है
10. मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
11. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
13. यदि कोई आवेदक किसी संस्था में पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन के समय ही नियोक्ता का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. नियुक्ति की अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता की पूर्वानुमती के बिना नौकरी प्रतियोगी परीक्षा अथवा किसी पाठ्यक्रम में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।
15. उम्मीदवार को म.प्र. डेंटल काउंसिल इंदौर से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता द्वारा सीनियर रेसीडेन्ट की ड्युटी कार्य आवश्यकता अनुसार किसी भी विभागों में समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा।
17. साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
18. **यात्रा भत्ता:-** साक्षात्कार के लिए किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा उन्हें स्वयं के व्यय पर यात्रा करना होगा।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScan

उक्त पद हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों का संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा :-

1- Mark Sheet 10th and 12th
2- Mark Sheet of BDS Ist Year to IVth Years
3- Degree of BDS
4- Internship Completion Certificate
5- Character Certificate issued from institute
6- Attempt Certificate
7- Migration/Transfer Certificate
8- Valid Registration BDS and MDS from MP State Dental Council
9- MDS Mark Sheet
10- MDS Degree
11- Publication list as per NMC Guidelines
12- Character Certificate issued from Institute
13- Experience Certificate
14- Domicile Certificate
15- Valid ID Proof (Driving License/AAdhar Card/PAN Card/Passport)
16- Caste Certificate (if applicable)
17- Passport Size 2 Photo
18- Application Fees Receipt/Demand Draft or any other proof on payment

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner